संख्या : 37/2015/500/छप्पन-2015-43/2014

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 12 मई, 2015

विषय : राजकीय अगुस्ता हेलीकॉप्टर- वी0टी0-यू0पी0एल0 के दोनों इंजन PW207C, Sl. No. BHO410 & BHO411 को रिपेयर एवं हॉट सेक्शन इंसपेक्शन (एच0एस0आई0) कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 1276/ना0उ0नि0/इंजी/बी-2-14(पी), दिनांक 25-3-2015 के क्रम में एवं शासनादेश संख्या- 1754/छप्पन-14-43/14, दिनांक 18-11-2014 तथा शासनादेश संख्या- 9/2015-244/छप्पन-15-43/14, दिनांक 17-3-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय अगुस्ता हेलीकॉप्टर- वी0टी0-यू0पी0एल0 के दोनों इंजन PW207C, Sl. No. BHO410 & BHO411 को रिपेयर एवं हॉट सेक्शन इंसपेक्शन (एच0एस0आई0) कराये जाने हेतु उक्त शासनादेश दिनांक 18-11-2014 के तहत दोनों इंजनों को निर्माता मैसर्स प्राट एण्ड व्हिटनी कनाडा (एस0ई0ए0) प्रा0लि0 सिंगापुर की फैक्टरी फैसिलिटी मैसर्स P&WC MONTREAL, P&WC St. Hubert Service Centre (Plant-5) 7007 De La Savane St. Hubert (Quebec) Canada J3Y3X7 को निर्यात करने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी तथा शासनादेश दिनांक 17-3-2015 द्वारा रूपये 2,18,23,938/- (रूपये दो करोड़ अट्ठारह लाख तेईस हजार नो सौ अड़तीस मात्र) के अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त धनराशि का आहरण वित्तीय वर्ष 2014-15 में नहीं किया गया है। अत: राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या- 9/2015-244/छप्पन-15-43/14, दिनांक 17-3-2015 द्वारा स्वीकृत धनराशि का अग्रिम आहरण वित्तीय वर्ष 2015-16 में किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- शासनादेश संख्या- 9/2015-244/छप्पन-15-43/14, दिनांक 17-3-2015 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा शासनादेश में उल्लिखित शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के अशा0 संख्या-ए-1-150/दस-2015, दिनांक 11 मई, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

पृ0सं0 : 37/2015/500(1)/छप्पन-2015-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।